# शोध सारांश

इस शोध अध्ययन में इसी तथ्य को विश्लेषित करने का अकिंचन  प्रयास किया गया है। इसी तथ्य की पुष्टि बार-बार इस अध्ययन के बीच आता रहा है। वस्तुतः बस्तर और वहां के आदिवासी समाज के लिये जीवन जीने वाले डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा जीते जी किवदंती से कम नही रहे। डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा का जीवन संघर्ष जहाँ भारतीय समाज की आंतरिक शक्ति का अहसास कराता है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा की सीमाएं रेखांकित भी करता है। उनकी 'गाँव गणराज्य' की अवधारणा न आदिवासियों की झोपड़ी का नाम है न ही किसी हठी व्यक्ति का दंभ है। वह उपनिवेषवादी हमले से जर्जर समाज की चेतना जगाने का आंदोलन है और नव साम्राज्यवादी आक्रमण को विफल करने की लंबी तैयारी भी।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पूर्व आयुक्त डॉ.शर्मा दिल्ली के एक गाँव नंगली रजापुर में एक  छोटे से मकान की दूसरी मंजिल के एक कमरे में किताबों के बीच टेबल लैंप जलाए चटाई पर लेटे थे रहकर आदिवासी समाज के लिये  एक कंबल बिछाए और दूसरा ओढ़े डॉ.शर्मामध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए किसी कानून की विवेचना करते रहे थे।

नंगली रजापुर के इस किराए के मकान से डॉ.शर्मा को विशेष लगाव था। यहाँ उन्हें लोगों से खुलकर मिलने और शांति से काम करने का मौका मिलता था। उनके छोटे बेटे ग्वालियर में खेती करते हैं और पत्नी उन्हीं के साथ रहती है। लेकिन बड़े बेटे अजय शर्मा तो दिल्ली में ही इंजीनियर हैं और नोएडा में उनकी कोठी है। उन्होंने पिताजी के लिए एक कमरे में कंप्यूटर लगाकर ठहरने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था कर रखी थी। पर डॉ. शर्मा ठहरते थे नंगली रजापुर के इसी कमरे में ही। (अगर टेलीफोन को सुविधा माना जाए तो यहाँ वही एक विशेष वस्तु दिखती थी।) दरअसल यही उनकी सहयोग की अवधारणा का 'पुस्तक कुटीर' है और उनके आदिवासी स्वाशासन के लिए राष्ट्रीय मोर्चा' भारत जन आंदोलन' का कार्यालय भी। इससे पहले वे राजधानी के नांगलोई इलाके के और भी सुविधाजीन कमरे में रहते थे। पर सरदार सरोवर परियोजना पर रपट तैयार करने के लिए विश्व बैंक के प्रतिनिधि ब्रेडफोर्ड मोर्स और थामस वहाँ तीन दिनों तक रुके।

डॉ.शर्मा ने बस्तर के मावली भांठा गाँव में तो बिलकुल फूस का कुटीर बना रखा था। दरअसल यह पूर्व आई, ए, एस अधिकारी व शिक्षक सत्ता के ऊँचे प्रतिष्ठानों को झकझोर कर झोपड़ियों में विश्वास करने की प्राचीन भारतीय परंपरा निभाता रहा है। जब वे चाणक्य के इस आयाम की प्रशंसा करते थे तो बात और भी स्पष्ट हो जाती थी। बस्तर के कलेक्टर के रूप में उनके कामों ने प्रशासकों के सामने नए आदर्श उपस्थित किए तो उन्हें चुनौती और संघर्ष के मार्ग पर ठेल दिया। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त के रूप में उनकी 28वीं और 29वीं रपट ने देश की सही तस्वीर सबके सामने रख दी। इन रपटों ने न सिर्फ कई आदिवासी और क्षेत्रीय आंदोलनों को ताकत दी बल्कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी इस रपट से काफी बल मिला। विभिन्न संचार माध्यमो से इसकी सकारात्मकता समूचे देश में फैली।

इसी बुनियादी बदलाव के लिए उन्होंने भारत जन आंदोलन का गठन किया। कभी मेधा पाटकर इसकी सचिव थीं। पर वे अब इसमें नहीं हैं। निमाड़ के इलाके में सक्रिय आदिवासी मुक्ति संगठन और खेडूत मजदूर संगठन भारत जन आंदोलन के घटक रहे है। इन संगठनों के बूते पर ही नर्मदा बचाओ आंदोलन खड़ा हुआ था। भारत जन आंदोलन से डॉ. विनयन, जार्ज मोनोपल्ली और मोरा मुंडा जैसे नेता इस आंदोलन से जुड़े हैं। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रपट के आधार पर पास हुआ आदिवासी स्वशासन कानून इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। यह कानून 23 दिसंबर 1997 तक देश के सभी राज्यों में लागू हो जाना था। जिन राज्यों ने लागू नहीं किया या इस कानून के अनुरूप अपने कानून में संशोधन नहीं किया वहाँ यह अपने आप लागू हो गया।

भारत जन आंदोलन 'गाँव गणराज्य' की स्थापना के उपलक्ष्य में गाँवों में 'जय स्तभ' लगवा रहा था। क्योंकि उन्हें यकीन था कि वे इससे ग्लोबीकरण की आंधी और साम्राज्यवादी शोषण को रोक लेंगे। पर उनके इस दावे पर यकीन करने वालों की संख्या कितनी है ? उनके पास विचार और संकल्प के बावजूद क्या समाज को सहमत करने और अपने साथ लाने की क्षमता है? इस तरह डॉ. शर्मा ने बस्तर के जनसमाज के लिये बहुत क्रांतिकारी भूमिका का निर्वहन किया।

इस शोध कार्य को 5 अध्यायों में विभक्त किया गया है। जिसमे पहले अध्याय में **प्रस्तावना एवं शोध प्रविधि** है जिसमे सारांश , साहित्यिक का सर्वेक्षण, शोध प्रणाली , उद्देश्य एवं क्षेत्र, उपकल्पना, शोध का महत्त्व, शोध विषय की मौलिकता, अध्यायीकरण को शामिल किया गया है।

इसी तरह दूसरे अध्याय में **छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज** है, जिसके अंतर्गत आदिवासी छत्तीसगढ़ का वर्गीकरण, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मज का विकासक्रम, छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्रों का अध्ययन, बस्तर में आदिवासी, बस्तर में आदिवासियों की स्थिति का विश्लेष्ण, बस्तर में आदिवासी समाज का इतिहास, बस्तर में आदिवासी अस्मिता, संस्कृति और संस्कृतिकरण और मध्य भारत के आदिवासी: समस्याएँ और सम्भावनाये तलाशी गयी है।

तीसरे अध्याय में **आदिवासी और पत्रकारिता**, पत्रकारिता में आदिवासी, बस्तर आदिवासी क्षेत्र की पत्रकारिता, इतिहास, उपलब्धियां, कमियां, आदिवासी क्षेत्र की पत्रकारिता और आदिवासी पर विवेचन किया गया है।

इसी तरह **अध्याय चार में डॉ. ब्रह्मदेव शर्मा की आदिवासी समाज के बीच उपस्थिति**, डॉ. शर्मा का जीवन परिचय, डॉ. शर्मा और आदिवासी समुदाय तहत आदिवासी इलाको में आदिवासी अव्शन के लिये डॉ. शर्मा शर्मा का संघर्ष का विवेचन किया गया है।

शोध के तहत **अध्याय पांच में डॉ. शर्मा की दृष्टी : कार्यो का सामाजिक, राजनैतिक प्रभाव का आंकलन**, सामाजिक दृष्टिकोण, आदि की चर्चा की गयी है।

अंत में निष्कर्ष एवं सुझाव, टिप्पणी पर विस्तार से चर्चा की गयी है। इसी भाग में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची के साथ परिशिष्ट संलग्न है।